क्रमांक.................

मूल्य रू. 1000/–

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर–शहडोल मार्ग हेतु साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता एवं स्थानीय शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग हेतु साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु द्वितीय ई–निविदा प्रपत्र

द्वितीय ई–निविदा आमंत्रण

वर्ष 2022–2025

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्रः करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर

टोल फ्री नंबर–9406900500

E-mail :jdssanchi@gmail.com

jabalpur.sanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
डेरी प्लांट करौंदा नाला,इमलिया जबलपुर

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ जबलपुर से शहडोल मार्ग हेतु परिवहनकर्ता कार्य एवं स्थानीय शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर मार्ग हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन माध्यम से क्रय करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 09.05.2022 से दोपहर 1.00 बजे	
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.05.2022 दोपहर 12.00 बजे	
3.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.05.2022 दोपहर 1.00 बजे	
4.	तकनीकी अहर्ताऐं परीक्षण दिनोंक एवं समय स्थान	दिनांक 24.05.2022 दोपहर 3.00 बजे मीटिंग हाल, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर.	
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई. एम.डी. राशि।	रू. 20000/– (रू. बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा।	
6.	परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु "तकनीकी अर्हताऐं" का प्रारूप।	परिशिष्ट क्र. 01	
7.	परिवहनकर्त्ता की आवश्यक "सामान्य शर्ते"	परिशिष्ट क्र. 02	
8.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 03 (केवल ऑनलाइन भरें)	
9.	परिवहनकर्त्ता का परिचय	परिशिष्ट क्र. 04	
10.	शपथ पत्रों के प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 05 से 12	
11.	अनुबंध प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 13 (अ) एवं (ब)	
12.	**मार्ग संबंधी विवरण–**	**वाहन क्षमता, विक्रय मात्रा एवं दूरी**	
	–जबलपुर–शहडोल मार्ग हेतु	टाटा 709 या समकक्ष क्षमता 4 टन, लगभग दूरी 440 किमी. आना–जाना।	
	–शहडोल शहर हेतु	मार्ग की दूरी 50 किमी. लगभग। औसत विक्रय लक्ष्य प्रतिदिन– 1500 लीटर वाहन क्षमता– महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष। क्षमता 1.5 टन इन्स्युलेटड वाहन।	दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग बढ़ने पर मांगानुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा।
	–शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग हेतु	मार्ग की दूरी 210 किमी. लगभग। औसत विक्रय लक्ष्य प्रतिदिन– 1500 लीटर वाहन क्षमता– महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष। क्षमता 1.5 टन इन्स्युलेटड वाहन।	
13.	शहडोल एवं अनूपपुर मार्ग संबंधी जानकारी	परिशिष्ट क्र. 14 (अ) एवं (ब)	

<u>निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- **परिशिष्ट क्र** 01 "तकनीकी अर्हताऐं" का तथा **परिशिष्ट क्र** 02 निविदा की शर्ते एवं **परिशिष्ट क्र.** 04 यथा वांछित दस्तावेजों का अध्ययन कर ऑनलाईन के माध्यम से प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किये जावे।
- **परिशिष्ट क्र** क. 03 "भाव पत्र/दरें" केवल ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत की जावे।
- निविदा में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- निविदाकार संबंधित मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऑनलाईन के माध्यम से निविदा प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जावे।

टिप्पणी :–

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।
2. <u>निविदा कार्य अवधिः–</u>

   निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2022–2025 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। तीन वर्ष उपरांत कार्य संतोषजनक होने की दशा में एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के कार्यकाल की गणना कार्य आवंटन आदेश की तिथि से मान्य की जावेगी।
3. <u>न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण</u>

स.क्र.	विवरण	स.क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी।
	<u>अनिवार्य अर्हताऐं–</u>		**<u>अनिवार्य दस्तावेज</u>**
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **परिशिष्ट क्र.04** को पूर्णतः भर कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।

4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) /भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन एवं म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये जिसके प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करें।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि (ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा) की पावती लगाना अनिवार्य है।	4.5	तकनीकी बिड के साथ रू. 20000/– की ई.एम.डी. राशि प्रति मार्ग के मान से जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाता धारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।(Assessment year 2020–.21 एवं 21–22)	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

6. **निविदा दस्तावेज कय हेतु –**

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट http:// www.mptenders.gov.in एवं www.sanchidairy.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड किए जा सकते है। निविदा दस्तावेज के कय मूल्य की राशि रू. 1000/– (रू. एक हजार रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर अधिकृत हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

कं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अधिकृत हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर।

महोदय,

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के अन्तर्गत साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ जबलपुर –शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता कार्य एवं स्थानीय शहडोल व शहडोल से अनूपपुर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि प्रति मार्ग के मान से क्रमशः–

1. जबलपुर से शहडोल मार्ग साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु भौतिक रसीद क्रमांक ————— दिनांक —————रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) को संलग्न कर रहा हूँ।
2. शहडोल शहर/मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु भौतिक रसीद क्रमांक ....दिनांक .... रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) को संलग्न कर रहा हूँ।
3. शहडोल से अनूपपुर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु भौतिक रसीद क्रमांक ....दिनांक ....रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) को संलग्न कर रहा हूँ।

आवश्यक अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/ पार्टनरशिप डीड/पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइट रशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म /कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइट रशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का जी.एस.टी नम्बर होना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइट रशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर जानकारी उपलब्ध कराना होगा।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक सलंग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर स्वप्रमाणित निरस्त(Cancelled) मूल चेक उपलब्ध कराना होगा।
5.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइट रशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की आयकर विवरणी (चार्टेड एकाउटेंट) द्वारा

	आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षो का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।		प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षो का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
6.	खुदरा विक्रय/परिवहन हेतु निर्धारित वैध **FSSAI** लायसेन्स होना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह में **FSSAI** लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		**FSSAI** लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहें हैं को परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह में **FSSAI** लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि रू. 20,000/- (बीस हजार रूपये) की रसीद प्रति मार्ग के मान से लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू. 20,000/- (बीस हजार रूपये) की रसीद प्रति मार्ग के मान से संलग्न करें।
8	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत् रू.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		निविदा पत्र के **परिशिष्ट 05** पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
9	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को एमपीसीडीएफ /अन्य किसी भी दुग्ध संघ एवं किसी शासकीय एवं अशासकीय संस्था द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का रू.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट ''06''** अनुसार संलग्न करें।
10	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		निविदा पत्र के **परिशिष्ट '07'** पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
11	निविदाकर्ता द्वारा पूर्व या वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत या कार्य किया गया है व आवेदन प्रस्तुत कर रहें है तो **परिशिष्ट '08'** निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।		निविदा पत्र के **परिशिष्ट '08'** पर संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
12.	उपलब्ध वाहन का प्रकार- मॉडल,क्षमता तथा पंजीयन कमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के समस्त दस्तावेज की छायाप्रति लगावें। नया वाहन खरीदनें की दशा में रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें। **(परिशिष्ट कमांक 09)**

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :– ——————————————

पता :– ——————————————

——————————————

——————————————

टेलीफोन नं.——————————————

मोबाईल नं ——————————————

जबलपुर–शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता एवं स्थानीय शहडोल व शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग हेतु

साँची दूध परिवहनकर्त्ता/ वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु

निविदा की आवश्यक सामान्य शर्ते :–

1. परिवहनकर्ता हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से जबलपुर दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को नियत दिनाँक को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा की उनके द्वारा परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई समस्त सूचनाओं, शर्तों एवं अनुबंध आदि का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है।
3. निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।(कंपनी/फर्म)
4. निविदाकार निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मार्ग हेतु ई.एम.डी राशि रू. 20000/– के मान से प्रत्येक मार्ग की ईएमडी राशि का भुगतान कर पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ईएमडी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5. निविदाकार द्वारा जबलपुर–शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता हेतु इन्सयुलेटेड वाहन टाटा 709 या समकक्ष 4 टन क्षमता वाहन मॉडल वर्ष **2018** या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है एवं स्थानीय शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग हेतु इन्सयुलेटेड वाहन महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष, क्षमता 1.5 टन वाहन मॉडल वर्ष **2018** या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है साथ ही संलग्न किये जा रहे वाहन में निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2 इंच "या पफ इन्सूलेशन 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ **परिशिष्ट क. 09** .अनुसार प्रस्तुत करें। अन्यथा निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राजसात कर ली जावेगी। वाहन संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करना होगा।

(6) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की ई.एम.डी. राजसात कर अंतरिम कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाऐगा।

(7) निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को मार्ग अनुसार निविदा में चाही गई प्रतिभूति राशि डीडी/नगद/आरटीजीएस के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" जबलपुर के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। ईएमडी राशि का निविदा स्वीकृती उपरांत समायोजन प्रतिभूति राशि से किया जा सकेगा। प्रतिभूति राशि निर्धारित समय सीमा में जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी। जिसकी विवरण सारणी निम्न है :–

क.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा लीटर/दिन लक्ष्य एवं वाहन क्षमता	प्रतिभूति राशि रू. (निविदा में निर्धारित औसत विक्रय पाँच दिवस के विक्रय के बराबर)	विवरण
1.	जबलपुर–शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता	टाटा 709 या समकक्ष 4 टन	1,50,000/–	
2.	शहडोल शहर वितरक सह परिवहनकर्त्ता	औसत विक्रय लक्ष्य प्रतिदिन– 1500 लीटर महिन्द्रा	200,000/–	

		पिकअप या समकक्ष 1.5 टन		
3.	शहडोल–अनूपपुर शहर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता	–औसत विक्रय लक्ष्य प्रतिदिन–1500 लीटर महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष 1.5 टन	2,00,000/–	

(8) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अमानत राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही निविदाकार का ऐसा निविदा प्रपत्र निरस्त समझा जाऐगा।

(9) निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू. 1000/– के स्टाम्प पेपर पर सभी मार्गो का पृथक–पृथक रूप से निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध अंतरिम कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

(10) निविदाकार, निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों (कैपिटल लेटर) में स्पष्ट रूप से अंकित करें। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाऐगा।

(11) आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(12) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।

(13) निविदाकार के पास निविदा में प्रत्येक मार्ग की निविदा में मांगे गये वाहन यदि उपलब्ध हो तो उसे (निविदाकार) निविदा के साथ वाहन के संपूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में **परिशिष्ट 09** अनुसार शपथ पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

(14) वितरक सह परिवहनकर्त्ता निविदाकार को वितरक मार्जिन 50 पैसे (पचास पैसे) प्रतिलीटर वर्तमान प्रचलित नीति अनुसार रहेगा। निविदाकार द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि में से केवल वितरक मार्जिन एवं निविदा में स्वीकृत परिवहन दर अनुसार मार्गो की राशि काटकर शेष राशि दुग्ध संघ खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) निविदाकार का नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक ना पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन करने पर या लापरवाहियाँ अथवा चोरी करते पाये जाने पर चोरी की गई सामग्री की राशि का 50 गुना अर्थदण्ड एवं पुनरावृत्ति होने पर पृथक किये जाने व विधि अनुसार संविदा निरस्त करने की कार्यवाही करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

(16) निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता की कार्य अवधि **तीन वर्षो** के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता/ वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं स्वीकृत दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम **दो वर्ष** हेतु बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनःनिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।

(17) अनुबंध अवधि में परिवहनकर्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने की दशा में परिवहनकर्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता/ वितरक सह परिवहनकर्त्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(18) निविदा में निर्धारित सभी औपचारिकताऐं समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर अंतरिम कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

(19) कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में शासकीय/अशासकीय संस्था/दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ एवं एमपीसीडीएफ के अधीन अन्य दुग्ध संघों की नियम शर्तों का उल्लघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया है, इस बाबत् रू. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भरकर अनिवार्य रूप से देना होगा। **(परिशिष्ट 06)**

(20) जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद भी निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र **परिशिष्ट क. 05** में भरकर आवश्यक रूप से देना होगा, जिसको संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित करवाये जाने के पश्चात् ही कार्य आदेश दिया जाऐगा। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र किसी भी समय गलत पाया जाताहै एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा ऐसे निविदाकार का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा।

(21) निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना अनिवार्य होगा।

(22) निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में निर्धरित की गई समय सीमा में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु नवीन कार्य आदेश दिया जावेगा। **परिशिष्ट क. 08** अनुसार घोषणा प्रमाण पत्र निविदाकार को जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में लेनदारी बकाया दुग्ध संघ में जमा न कराये जाने की स्थिति में निविदाकार की निविदा अमान्य करने व विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।

(23) निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि निविदा प्रपत्र ई–निविदा के माध्यम से (ऑन लाईन) आमंत्रित किये जा रहे है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेज व ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर निविदा भरें।

(24) वितरक सह–परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण, वितरण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं/दुग्ध पार्लर/रिटेलरों को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(25) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशाली किये जाते हैं तो निविदाकार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्णरूपेण पालन करना होगा।

(26) निविदाकार के पास जीएसटी नम्बर होना अथवा जीएसटी नम्बर हेतु आवेदन करने का साक्ष्य आवश्यक है

(27) निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।

(28) परिवहनकर्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.ए.आई.) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना एवं लाईसेंन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाईसेंस की छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होगा।

(29) निविदाकार को दूध एवं दुग्ध पदार्थ के वितरण/परिवहन का अनुभव होना चाहिये तथा परिवहनकर्त्ता/वितरक सह परिवहनकर्ता का अनुभव रखने वाली पार्टियों को वरीयता दी जावेगी।

(30) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

(31) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित जबलपुर–शहडोल परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु **प्रतिभूति राशि रू. 150000/– (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)** एवं शहडोल शहर, वितरक सह परिवहनकर्त्ता हेतु **प्रतिभूति राशि रू. 200,000/– (दो लाख रूपये मात्र)** एवं अनूपपुर शहर मार्ग, वितरक सह परिवहनकर्त्ता हेतु **प्रतिभूति राशि रू. 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र)** अंतरिम कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य है।

(32) निविदा में सफल वितरक सह–परिवहनकर्ता को 10 हस्ताक्षरित, रेखांकित चैक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वितरक कों प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि अग्रिम जमा करने के उपरांत ही दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय किये जावेंगे। (परिशिष्ट क्र. 13 अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें)

(33) निवदिकार/आवेदक दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दर पर समस्त कर सहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में **डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्त्ता को स्वीकृत परिवहन दर में समानुपातिक रूप से दुग्ध संघ के नियमानुसार दिया जावेगा।**

(34) निविदाकार को कार्य आवंटन उपरांत प्रतिदिन दूध ले जाने वाली केटों को अगले दिन वापिस लाना अनिवार्य होगा। यदि एक दिन की औसत सप्लाई में प्रयुक्त केटों की संख्या से अधिक केटें मार्ग पर लंबित रहती हैं तो लंबित केटों की धनराशि वर्तमान क्रय दर के आधार पर परिवहन देयकों से कटौत्रा की जावेगी। एक बार कटौत्रा की गई राशि वापिसी योग्य नहीं होगी। यही पद्धति निरंतर प्रभावशील रहेगी।

(35) स्वीकृत निविदाकार को (कुण्डम, शहपुरा, पाली, उमरिया, शहडोल एवं मार्ग की संस्थाओं को समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा मार्ग में नियुक्त किये गये वितरकों/सह वितरक परिवहनकर्त्ता को उनके स्थान पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय कर पूर्ण खाली केटें दुग्ध संघ में जमा करने की जवाबदारी होगी।

(36) परिवहनकर्त्ता द्वारा मार्ग में संबंधित वितरकों/सह परिवहनकर्त्ताओं की मांग अनुसार प्रदायगी की जावेगी। किसी प्रकार की कमी/क्षतिपूर्ति होने की दशा में उक्त सामग्री की राशि का कटौत्रा परिवहनकर्त्ता के देयकों से किया जावेगा।

(37) स्वीकृत निविदाकार को **डिंडोरी–अमरकंटक मार्ग** का साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ दुग्ध संयंत्र, जबलपुर से प्राप्त कर दुग्ध संघ द्वारा निर्धरित समय पर शहपुरा में डिंडोरी–अमरकंटक परिवहनकर्त्ता को एक नियत स्थान पर प्रदाय कर पावती दुग्ध संघ में जमा करना होगी एवं खाली केटें प्राप्त कर प्रतिदिन दुग्ध संघ में जमा करने की जवाबदारी शहडोल मार्ग निविदाकार/परिवहनकर्त्ता की होगी।

(38) निविदाकार के निविदा में स्वीकृत मार्ग में स्थित संस्थाओं/शासकीय संस्थाओं में प्रदाय किये जा रहे दूध पर सिर्फ निविदा में स्वीकृत परिवहन दर ही प्रदाय होगी। वितरक मार्जिन रू. 0.50 (पचास पैसे) प्रतिलीटर देय नहीं होगा।

(39) निविदकार को अपने मार्ग के पार्लर/बूथ/संस्था की मांग ईआरपी में नियमित रूप से प्रेषित करना होगा।

मेरे/हमारें द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र से शहडोल मार्ग परिवहन कार्य एवं शहडोल/अनूपपुर शहर में वितरक सह–परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 40 एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राशि राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया ज़ाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम...
पता...
पिनकोड नम्बर..
फोन नम्बर...
मोबाइल नम्बर...
ई–मेल पता..

वित्तीय बिड

क्र.	मार्ग का नाम एवं दुग्ध वितरण की व्यंवस्था	इंस्युलेटेड वाहन से दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन करने की दर/किमी.	
		परिवहन दरें (अंको में)	परिवहन दरें (शब्दों में)
1.	डेयरी संयंत्र, जबलपुर से शहडोल मार्ग में दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं केटें वापिसी दर रू./किमी. (आना–जाना)		
2.	शहडोल शहर वितरक सह परिवहनकर्त्ता दर रू./लीटर		
3.	शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता दरें रू./लीटर		

नोटः—निविदाकार को परिवहन दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाऐगा।
निविदाकार को केवल परिवहन दर प्रस्तुत करनी है।
केवल वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु प्रचलित वितरक मार्जिन 50 पैसे प्रतिलीटर अतिरिक्त देय होगां (संसथा प्रदायगी पर केवल स्वीकृत परिवहन दरें ही देय होगी)

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम ——————————

स्वयं का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो लगावें।

निविदाकार का परिचय

1. निविदाकार का नाम ....
2. फर्म का नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. स्थाई / वर्तमान पता ....

   ....

   ....(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)
5. प्रस्तावित मार्ग का नाम ....
6. दूरभाष / मोबाईल नं. ....
7. ई–मेल (अनिवार्य) ....
8. शैक्षणिक योग्यता ....
9. आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....

   ....
10. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....
11. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ या एफएमसीजी का कोई अनुभव होता तो विवरण

    ————————————(दस्तावेज संलग्न करें)
12. (अ) पेन नम्बर ....

    (ब) FSSAI ....

    (स) GSTIN नम्बर ....

    (द) ई.एम.डी.राशि का विवरण ....

    (समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ और मान्य करता / करती हूँ। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है।आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम————————————

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.................................... निवासी....................................जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ....(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम–––––––––––

पता–––––––––––

–––––––––––––––

–––––––––––––––

परिशिष्ट क्र. 06

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.. निवासी....................................जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जबलपुर–शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता एवं शहडोल शहर एवं शहडोल से अनूपपुर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्त्ता कार्य एवं शहडोल शहर एवं शहडोल से अनूपपुर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम————————

पता————————

————————

————————

हस्ताक्षर————————

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित जबलपुर—शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता एवं शहडोल शहर एवं शहडोल से अनूपपुर मार्ग हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक/आर्थिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... जबलपुर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... जबलपुर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट क्र.08

घोषणा पत्र

मैं/हम —————————————————————घोषणा करता हूँ/हैं कि मेरे द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर में वर्ष ————————— से परिवहनकर्त्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता के रूप में कार्य किया गया है/कार्यरत हूँ। यदि मैं/हम निविदा में सफल होता हूँ/हैं तो नवीन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यदि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर में पूर्व/वर्तमान की कोई भी लेनदारी–देनदारी प्रदर्शित होगी तो संपूर्ण लेनदारी–देनदारी का भुगतान/समायोजन निर्धारित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा किया जाकर दुग्ध संघ से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त करने का अधिकार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम————————————————
मोबाईल नंबर———————————
पता——————————————————————

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.................................... निवासी....................................जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जबलपुर–शहडोल परिवहनकर्त्ता एवं शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर मार्ग वितरक सह परिवहनकर्त्ता से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्त्ता एवं वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं एक माह की समय सीमा में वाहन निर्धारित मापदण्ड अनुसार दुग्ध संघ को निर्धारित कार्य हेतु उपलब्ध करा दूँगा तथा निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (पफ इन्सूलेशन 2 इंच/थर्माकोल हैवी डेन्सिटी 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध करवाऊँगा।उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम———————

पता———————
————————
————————

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.................................... निवासी....................................जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जबलपुर–शहडोल मार्ग परिवहनकर्त्ता एवं शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर मार्ग हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता हेतु संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्त्ता कार्य व वितरक सह परिवहनकर्त्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा मेरी बैंक चैक बुक (क...............से ....तक) जो कि मेरे स्वयं के बैक खाते.......................(बैंक का नाम) खाता क. ....की है, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध करा रहा हूँ। जिसका उपयोग भविष्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों एवं क्रेटों के लंबित भुगतान हेतु जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा किया जा सकता है। उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम————————

पता————————

————————

————————

हस्ताक्षर————————

परिशिष्ट क्र.11

शपथ–पत्र रू. (रू. 100/– के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.. निवासी...................................जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ....(मार्ग का नाम) से संबंधित दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु जो परिवहन राशि अंकित की जावेगी, उसका देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करूँगा। देयक पर अगर नियमानुसार TDS/GST/TCS इत्यादि कर लगता है, उसे मेरे द्वारा वहन किया जावेगा। वितरक सह परिवहनकर्त्ता होने की स्थिति में नियमानुसार TDS/GST/TCS कर इत्यादि लगता है, उसे मेरे द्वारा वहन किया जावेगा। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम————————

पता————————

————————

————————

जबलपुर से शहडोल मार्ग दूध परिवहन वितरण हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ....को प्रथम पक्ष **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर** जिसे आगे जबलपुर दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स **श्री** ——————————————————**पिता श्री पता**——————————————————**मो.** ———————— **द्वारा पार्टनर श्री**——————— **पिता श्री** ———————— **पता**————————— **मो.** ——————— **से बतौर दूध एवं दुग्ध पदार्थ के** परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग —————— के लिये दिनांक ————— से ————— तक की अवधि वास्ते अनुबंध कर हस्ताक्षरित किया गया। इन्हें आगे द्वितीय पक्ष परिवहनकर्त्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्त्ता कार्य संपादित करेंगे।

परिवहनकर्ता द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर संयंत्र से शहडोल मार्ग पर सभी वितरण केन्द्रों तक दुग्ध भरी क्रेटस, केन एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्र. ------------------- से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर को निर्धारित समय पर परिवहन हेतु आवेदन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निम्नलिखित शर्तो पर परिवहनकर्ता का आवेदन परिवहन दर **रू.**————————**/किमी.** प्रतिदिन आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता तो, उसे एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोडने बावत् देना होगा।
2. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकार होने पर परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर निजी इंसुलेटेड वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। ऐसे मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी और आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाये गये केन्द्रों में केन्द्र बढाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किमी. दर्शाने से दस किमी. ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
3. निविदा में स्वीकृत दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय दूध की क्रेटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट व केन आदि वापस लेकर जबलपुर डेयरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंपने तक के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त नियमित कर्मचारी द्वारा कितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त किया जाना है, उतने ही क्रेटस रिटर्न लाते समय डेयरी से वापस कर रसीद प्राप्त करना चाहिये अन्यथा जितने क्रेटस कम वापस किये जावेंगे उतने ही केंटों की कीमत की राशि परिवहनकर्ता के बिल में से कटौत्री किया जावेगा।

(ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री परिवहनकर्ता को चालान में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाये जाने की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी एवं इसी प्रकार वापिस (रिटर्न) आने वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी के अधिकृत वितरक/सह परिवहनकर्त्ता/संस्था, केन्द्रों से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी ।

5. ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले चालक तथा नियुक्त कर्मचारियों के नाम तथा फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण मेनशीट में वाहन के आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाडी बिगड जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाडी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करें अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि होती है तो वह ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दण्ड दिया जा सकता है। एक से अधिक बार इस प्रकार की घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति की राशि राजसात कर लिया जावेगा।

6. वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट–फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा ।

7. ठेकेदार हर पखवाडे में एक दिन कार्यालय आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी जो ठेकदार को मान्य होगी।

8. यह अनुबंध **तीन वर्षो** के लिये प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष कर अधिकतम **दो वर्षो** हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

9. ठेकेदार/वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी केटस/केन लायेंगे एवं दुग्ध चालान की प्रविष्ठियों में किसी प्रकार की काटा–पीटी नहीं करेंगे। न ही दूध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदान होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

10. दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे, ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगना कीमत वसूल की जावेगी।

11. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर से किसी प्रकार की गडबडी करेगा तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाँच करेंगे तथा यदि प्रथम दृष्ट्या दूध, दुग्ध संघ की प्रयोगशाला के परीक्षण में अपमिश्रित पाया जाता है तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर डेयरी का होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

12. परिवहनकर्ता के कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि की पुनरावृत्ति करने पर उक्त परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

13. परिवहनकर्ता एवं परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी प्रकार संघ के अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की शिकायत करने पर कर्मचारी को तुरन्त हटा देना होगा।

परिवहनकर्ता द्वारा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका अनुबंध तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जावेगा।

14. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जाँच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेन्डेंट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को संपन्न करवायेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जाँच किये जाने में सहयोग करेंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जाँच पडताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

15. अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाडी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाडी में पाये गये तो परिहवनकर्ता से रूपये 25/- (रूपये पच्चीस मात्र) प्रति व्यक्ति दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थियों में यदि वाहन निर्धारित समय से 15 मिनिट तक अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा। जितने दिन परिवहनकर्ता दुग्ध वितरण के लिये अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 200/- (रू. दो सौ मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा ।

16. दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रू. 100/- प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में बिल से कटौत्रा किया जावेगा।

17. यदि परिवहनकर्ता का वाहन खराब हो जाता है तो उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक (विपणन) की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।

18. परिवहनकर्ता का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा उसकी संपूर्ण जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर, डेयरी जबलपुर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्ता दुग्ध या दुग्ध पदार्थ से भरी क्रेटों के साथ किसी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान का परिवहन नहीं करेगा।

20. देयकों का भुगतान माह में दो बार किया जावेगा, परिवहनकर्ता को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एवं 18 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख या 30 तारीख तक ----------के माध्यम से किया जावेगा।

21. वाहन चालक व अंटेन्डेन्ट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के क्रेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लांट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को परिवहनकर्ता तुरन्त बदल देगा।

22. अनुबंध की शर्ते एवं अवधि दिनांक ------- से तक की अवधि -------- के लिये प्रभावशाली रहेगी। अनुबंध की शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगें एवं अनुबंध समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता ऐसी संभावित के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

23. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ जबलपुर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर अनुबंध निरस्त करने समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।

24. परिवहनकर्ता को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो अनुबंध तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर को होगा ।

25. जबलपुर डेयरी की बकाया देय रकम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।

26. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित 20 किमी./घंटे की गति से ज्यादा गति से नहीं चलाये जावेंगे और न ही डेयरी की परिधि के अंदर वाहन की साफ–सफाई की जावेगी। यदि ऐसा किया गया तो प्रति अवसर रूपये 100/– परिवहनकर्ता पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

27. परिवहनकर्ता द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहनकर्ता की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता व्यक्त की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा ।

28. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर को होगा ।

29. उपरोक्त शर्तो के अलावा संघ के हित को देखते हुए कार्य भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर सुरक्षित रखता है।

30. परिवहनकर्ता को केटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम केट की वसूली जो आरोप पत्र परिवहनकर्ता को दिया जावेगा उस आरोप पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम केट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के परिवहनकर्ता के देयक से कम केटों की राशि काट ली जावेगी। कटौत्री होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

31. खाली केटों का लेखा जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख तक स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण करा लेवें। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिये स्वयं परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा।

32. यदि परिवहनकर्ता शर्तो के परिपालन में असमर्थ है या अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह .के पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।

33. परिवहनकर्ता के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये जबलपुर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राजसात जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण जबलपुर दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ता को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो परिवहनकर्ता से वसूल की जाना है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

34. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्त्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी समानुपातिक दर से की जा सकेगी। इस हेतु मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हो, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर, टाटा 608/709 आयशर औसतन 06 किमी. तथा महिन्द्रा पिकअप/समकक्ष औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर के आधार पर गणना की जावेगी।

35. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत परिवहनकर्ता द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कन्ट्रेक्टर को संबंधित विभाग से कोड नंबर प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित वाहन परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि/लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

36. अनुबंधित अवधि के लिये परिवहनकर्ता को अपने चालक/कर्मचारियों का बीमा स्वयं के व्यय से कराना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता के अधीन नियोजित किसी चालक/कर्मचारी को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु संघ उत्तरदायी नहीं होगा।

37. साँची दुग्ध संघ उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर बनाये रखने वास्ते इंश्युलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करायेगें, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन अनुबंध निरस्त हो जावेगा।

38. दुग्ध की माँग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की माँग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिये पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा।

39. आपातकालीन स्थिति यथा नदी–नाले चढने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

40. उपरोक्त अनुबंधित शर्तो के अतिरिक्त समय–समय पर संघ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन संघ हित में करने हेतु परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा एवं बाध्य होगा।

41. समस्त श्रम अधिनियमों का पालन करने का दायित्व वाहन परिवहनकर्ता का होगा।

42. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय होगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी तहत दिनांक .. ..को निष्पादित किया गया है। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में इस अनुबंध की समयावधि उपरोक्त शर्तो के अधीन बढा सकेगा।

43. परिवहनकर्त्ता को अपने वाहन में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा जिसका मासिक किराया व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

44. परिवहनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तो का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।

45. परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।

46. परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही परिवहनकर्ता के विरूद्ध की जा सकेगी।

47. परिवहनकर्त्ता द्वारा वितरण वाहन में केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवं वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन में किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड रू. 5000/— का अधिरोपण किया जावेगा एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर परिवहन कार्य निरस्त करते हुए उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

48. परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज पंजीकरण, परमिट, फिटनेस एवं इन्स्युलेशन आदि का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से निर्धारित समय सीमा में कराना होगा।

49. परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों मे परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

50. यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट एवं चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध/प्रोडेक्ट्स वाहन में पाया जाता है तो अधिक दूध/दूध पैकेट, प्रोडेक्ट्स पाये जाने पर दूध/प्रोडेक्ट्स की कीमत का 50 गुना राशि का अर्थदण्ड परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा।

51. निविदाकार को संबंधित आवंटित मार्ग पर होने वाले व्यय जैसे टोल टोक्स, चालान एवं क्षतिपूर्ति एवं अन्य संबंधित व्यय का भुगतान स्वयं के व्यय पर करना होगा। दुग्ध संघ उक्त व्यय के भुगतान के लिये बाध्य नहीं होगा।

52. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जावेगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

53. अनुबंध की **कंडिका 01 से 56** तक वर्णित नियम व शर्तो का परिवहनकर्त्ता द्वारा किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा। परिवहनकर्त्ता को अनुबंध की **कंडिका 01 से 56** तक का पालन करना अनिवार्य है। परिवहनकर्त्ता द्वारा किसी भी एक या एक से अधिक कंडिकाओं का उल्लंघन पाये जाने पर जारी कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। इस बावत् मात्र एक नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

54. निविदा प्रपत्र के **परिशिष्ट कमांक 02** में उल्लेखित निविदा की समस्त सामान्य शर्ते भी इस अनुबंध का हिस्सा होकर परिवहनकर्त्ता को मान्य होंगी।

55. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण शर्तो में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तो को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

56. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर का निर्णय अंतिम व दोनों पर बंधनकारी होगा।

मैं .... पिता / पति / पत्नी..

वितरक सह–परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री / श्रीमति..........

.... को घोषित करता / करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेछा से दिनांक ------ को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के निर्देशानुसार परिवहनकर्त्ता द्वारा संतोषप्रद कार्य करने व नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार की वसूली उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अमानत राशि व बैंक गॉरंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का परिवहनकर्त्ता द्वारा उल्लंघन करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्ते एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)
परिवहनकर्ता

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम------------------

पता ----------------------

प्रभारी (विपणन)
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.जबलपुर

गवाह के हस्ताक्षर
नाम.........................
पता........................

गवाह के हस्ताक्षर
नाम.......................................
पता..

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्ता अनुबंध प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, जबलपुर, जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स .... द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर दूध एवं दुग्ध पदार्थ के वितरक सह–परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग .... के लिए दिनांक................................ से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह–परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि निविदा में मांगे गये मार्ग अनुसार दुग्ध संघ कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि वितरक शिप/वितरक सह परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु जमा होगी किन्तु प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि प्रतिदिन जमा करना होगी।
3. वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई प्रतिभूति राशि वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा चाही गई प्रतिभूति राशि समय अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा जिसकी विवरण सारणी निम्न है :–

क्र.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा ली./दिन (लक्ष्य)	प्रतिभूति राशि रूपये (निविदा में निर्धारित औसत विक्रय पाँच दिवस के विक्रय के बराबर)

सफल निविदकार को अंतरिम कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की समय सीमा में वर्णित अनुसार प्रतिभूति राशि (प्रतिदिन विक्रय किये जा रहे दूध के मूल्य के पाँच गुना के बराबर) दुग्ध संघ में जमा करना होगा बगैर प्रतिभूति राशि जमा किये कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिभूति राशि का पुनरीक्षण प्रत्येक 03 माह बाद किया जावेगा अर्थात् 03 माह बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का पाँच दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अगर पूर्व से वितरक हैं तो नो ड्यूज प्रदान करना होगा।

5. निविदाकार द्वारा नियुक्ति उपरांत कार्य संतुष्ट न पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन या लापरवाही करने पर एक नोटिस भेजकर पृथक किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
6. वितरक सह–परिवहनकर्ता, ...मार्ग पर स्थित साँची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो वितरक सह–परिवहनकर्ता को मान्य करना बंधनकारी होगा साथ ही वितरक सह परिवहनकर्त्ता को मार्ग के अंतिम विक्रय केन्द्र तक दूध व दुग्ध पदार्थ पहुँचाकर प्रदाय करना होगा।
7. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से दुग्ध वाहन विलंब होने की दशा में

यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाऐगा।

8. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण स्थल से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
9. वितरक सह–परिवहनकर्ता, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएगें/न बढ़ायेगें।
10. वितरक सह–परिवहनकर्ता निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नगद भुगतान पर विक्रय एजेन्ट को देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की स्थिति में नोटिस देकर वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य समाप्त कर सकेगा व काली सूची में डालकर नोटिस दिया जावेगा।
11. वितरक सह–परिवहनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य प्रमाणित उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।
12. दुग्ध संघ वितरण स्थल डेयरी संयंत्र, जबलपुर से दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्त्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को उठाना होगा। संयंत्र के वितरण स्थल पर परिवहनकर्त्ता/वितरक सह परिवहनकर्त्ता छांटकर गिनकर, जाँचकर, ग्रहण करेगें एवं प्राप्ति देगें। विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के पश्चात् गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में ही परीक्षण उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
13. परिवहनकर्त्ता/वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त स्वतः का एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
14. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित आधार में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
15. वितरक सह–परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को वितरण के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर की जाऐगी।
16. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।साथ ही ई.पी.एफ./ई.एस.आई./बीमा/लेबर लॉ नियमों का पालन करना परिवहनकर्ता के लिए पेड चालान एवं ईसीऑर देना अनिवार्य होगा।
17. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा एवं प्रत्येक 15 दिवस के अंत में मिलान करना होगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह–परिवहनकर्ता से क्रेटस/केन्स की राशि रू. 235/– प्रतिक्रेट पेनल्टी एवं क्रेट/केन का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स/केन्स समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा जारी समय सारणी अनुसार जमा कराना अनिवार्य होगा।
18. वितरक सह–परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
19. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या प्रतिमाह 05 बढानी होगी। दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर वितरक सह परिवहनकर्त्ता को दिये गये विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति करना अनिवार्य है तथाविक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाऐगी।
20. यह कि प्रत्येक माह के अंत में उभय पक्ष दूध प्रदाय एवं उसकी राशि का हिसाब–किताब का मिलान करेंगे एवं माह की अंतिम तारीख पर जो भी राशि लेना शेष रहती है, वह वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जमा करायी जावेगी। वितरक द्वारा मिलान न करने पर दुग्ध संघ अनुसार जो राशि लेना–देना निकलती है, वह मान्य होगी।

21. वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता अपने मार्ग पर अगर कोई नयी एजेंसी खोलता है तो उसकी लिखित सूचना उसे दुग्ध संघ को देना होगी।
22. वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेंसी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की राशि प्रतिदिन संग्रहण करने का दायित्व स्वयं वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता का होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी/अन्य के द्वारा किसी भी भुगतान के लिये दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा। किंसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी द्वारा प्रदायित माल की राशि न देने पर दूध बंद करने की जानकारी वितरक द्वारा दुग्ध संघ को पूर्व में देना होगी। वितरक को विक्रय केन्द्रों द्वारा जमा की जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि की पावती तत्काल विक्रय केन्द्र प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
23. वितरक द्वारा वितरण वाहन में केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवं वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन में किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड रू. 5000/– का अधिरोपण किया जावेगा एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर वितरकशिप निरस्त करते हुए उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
24. वितरक सह परिवहनकर्त्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह परिवहनकर्त्ता हस्तान्तरित (Sublet) नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक सह परिवहनकर्त्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी सुरक्षा निधि (प्रतिभूति राशि) राजसात कर सकेगा।
25. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्त्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी समानुपातिक दर से की जा सकेगी। इस हेतु मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हो, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर, टाटा 608/709 आयशर औसतन 06 किमी. तथा महिन्द्रा पिकअप/समकक्ष औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर के आधार पर गणना की जावेगी।
26. दुग्ध संघ को देय समस्त प्रकार के भुगतान में विलंब किये जाने पर **18%** की दर से ब्याज अतिरिक्त वसूल किया जावेगा।
27. समय समय पर दुग्ध संघ वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पानें पर इस बाबत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा। निर्धारित अनुसार लक्ष्य पूर्ति न पाये जाने पर एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त किया जावेगा।
28. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य वितरक सह–परिवहनकर्ता को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस जारी किये, जारी कार्य आदेश निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर सकेगा।
29. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की होगी। उक्त पावती दुग्ध संघ द्वारा मागे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि परिवहन देयक से काटी जावेगी।
30. वितरक सह–परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराऐगा।
31. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को समय–समय पर दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक सह–परिवहनकर्ता विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही एक नोटिस मात्र देकर की जावेगी।
32. वितरक सह–परिवहनकर्ता विपणन कार्य हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

33. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज पंजींकरण, परमिट, फिटनेस एवं इन्स्युलेशन आदि का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से निर्धारित समय सीमा में कराना होगा।

34. वितरक सह–परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों मे परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह–परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

35. वितरक सह–परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रो एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होगे। किसी कारणवश चालान संघ में जमा न होने पर राशि रू. 50/–प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।

36. यह कि वितरक सह–परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट एवं चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध/प्रोडेक्ट्स वाहन में पाया जाता है तो अधिक दूध/दूध पैकेट, प्रोडेक्ट्स पाये जाने पर दूध/प्रोडेक्ट्स की कीमत का 50 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह–परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक से संघ में जमा चेक बुक/प्रतिभूति राशि के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

37. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्ध विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।

38. वितरक सह–परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसएआई) जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज़ लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

39. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से प्रतिदिन जमा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद राशि लंबित होने पर 18% की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा,जो कि वितरक पर बंधनकारी होगातथा संघ में रेखाकिंत (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। अपरिहार्य स्थिति में जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/सर्वर डाउन होने अथवा लेनदारी लंबित होने आदि की स्थिति में धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। इस हेतु वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा स्वयं की हस्ताक्षरित चैक बुक उपलब्ध करानी होगी, जिस पर चैकों पर दिनांक उल्लेखित नहीं होगी एवं साथ ही वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा रू 100/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो परिशिष्ट कमांक 13 के अनुसार होगा। एमपीसीडीएफ के नियमानुसार वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा धनादेश अनादरित होने की स्थिति में वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता पर नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

40. वितरक सह परिवहनकर्त्ता के किसी भी चेक के अनादरित होने पर चेक की मूल राशि के साथ–साथ अर्थदण्ड की राशि रू. 1000/– वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा जमा करना सुनिश्चित् किया जावेगा।

41. बैंक की तकनीकी कारणों या सर्वन डाउन होने के कारणवश अनादरित हुए चेकों का बैंक द्वारा लेटर हेड पर विवरण उपलब्ध कराने पर दुग्ध संघ द्वारा अर्थदण्ड नहीं वसूला जावेगा।

42. राशि जमा न होने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे–खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के तहत् भुगतान प्राप्त करने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा दुग्ध संघ में जमा Security Deposit/बैंक गॉरंटी/संयुक्त नाम फिक्स डिपॉजिट से अलग–अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

43. वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता से की जावेगी।

44. वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह–परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।

45. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाऐं अनुबंध का ही भाग होंगी, का वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।

46. अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाऐंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।

47. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।

48. यह कि मार्ग............................ पर श्री/मेसर्स ....वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रूपये.............................. पैसे प्रति ली. पर कार्य करेंगे।

49. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

50. निविदाकार को संबंधित आवंटित मार्ग पर होने वाले व्यय जैसे टोल टोक्स, चालान एवं क्षतिपूर्ति एवं अन्य संबंधित व्यय का भुगतान स्वयं के व्यय पर करना होगा। दुग्ध संघ उक्त व्यय के भुगतान के लिये बाध्य नहीं होगा।

51. यह अनुबंध तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

52. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह–परिवहनकर्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान,तम्बाखू,शराब आदि का सेवन एवं उंची आवाज में गाने गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाडकर संयंत्र में फेंक दिया जाता है इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती हैं। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जायें साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 किलोमीटर प्रतिघंटा रखी जावेगी।

53. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उसे मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जावेगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

54. अनुबंध की कंडिका 01 से 57 तक वर्णित नियम व शर्तो का वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा। वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को अनुबंध की कंडिका 01 से 54 तक का पालन करना अनिवार्य है। वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा किसी भी एक या एक से अधिक कंडिकाओं का उल्लंघन पायें जाने पर जारी कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। इस बावत् मात्र एक नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

55. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता के मध्य दिनांक................ को निष्पादित किया गया है, अन्तर्गत विषयों के संबंधित उभयपक्षों के मध्य विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को होगा एवं न्यायलीय क्षेत्राधिकर जबलपुर होगा।

56. निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट कमांक 02 में उल्लेखित निविदा की समस्त सामान्य शर्ते भी इस अनुबंध का हिस्सा होकर वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता को मान्य होंगी।
57. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण शर्तो में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तो को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपरु सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

मैं .... पिता/पति/पत्नी.. वितरक सह–परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति.. को घोषित करता/ करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेछा से दिनांक ------ को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के निर्देशानुसार वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा संतोषप्रद कार्य करने व नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार की वसूली उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अमानत राशि व बैंक गॉरंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का वितरक/वितरक सह परिवहनकर्त्ता द्वारा उल्लंघन करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्ते एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर

वितरक सह–परिवहनकर्ता
नाम..
पता..
1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–..................................

....
....
2. गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–....................................

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.

परिशिष्ट क्र.14 (अ)

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

क.	मार्ग का नाम	वाहन क्षमता	मार्ग की दूरी (आना–जाना)	औसत दुग्ध विक्रय (प्रतिदिन)	सुरक्षा निधि /रू.
अ	जबलपुर दुग्ध संघ के अन्तर्गत शहडोल एवं अनूपपुर				
1.	शहडोल शहर मार्ग	महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष (तापरोधी) क्षमता (1.5 टन)	50	1500	200,000/– (दो लाख रूपये)
2.	अनूपपुर शहर मार्ग	महिन्द्रा पिकअप या समकक्ष (तापरोधी) क्षमता (1.5 टन)	210	1500	2,00,000/– (दो लाख रूपये)

नोट: दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग बढ़ने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा। जिस पर किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय दुग्ध संघ द्वारा प्रदान नहीं किया जावेगा।

शहडोल शहर मार्ग की जानकारी –

क.	पार्लर का नाम	क्षेत्र
1.	सब्जीमंडी पार्लर	तहसीली, जिला अस्पताल, राजेन्द्र टॉकीज चौक, कान्वेन्ट स्कूल रोड़, स्टेडियम रोड़, नगर पालिक चौक, गाँधी चौक, रेल्वे फाटक, सब्जीमंडी कोतवाली चौक, शबरी रोड़, मेडीकल कॉलेज, नया कॉलेज। 50 किलोमीटर
2.	बिरसा मुडा चौक पार्लर	
3.	कोठी तिराहा पार्लर	
4.	कोतमा तिराहा पार्लर	
5.	कोतवाली पार्लर	
6.	मेडीकल पार्लर	
7.	कलेक्ट्रेट पार्लर	
8.	लल्लू सिंह चौक पार्लर	
9.	न्यायालय पार्लर	
10.	नया बस स्टैंड पार्लर	
11.	चौपाटी पार्लर	
12.	जिला अस्पताल पार्लर	
13.	जयस्तंभ चौक पार्लर	

अनूपपुर शहर मार्ग की जानकारी –

क.	पार्लर का नाम	क्षेत्र
1.	बस स्टैंड पार्लर (प्रस्तावित)	शहडोल–बुढ़ार–धनपुरी पेपर मिल, सोडा फैक्ट्री, अमलई, विवेक नगर, संजय नगर, चचाई, अनूपपुर, जतैहरी कुल दूरी – 210 किलोमीटर
2.		
3.		
4.		

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पंजीकृत कार्यालय, करौंदा, इमलिया, कटनी रोड, जबलपुर
कस्टमर केयर नंबर-9406900500
Email- jabalpur.Sanchi@gmail.com

क्र. 1722/जेएसडीएस/विप.-110/02/2022 जबलपुर दिनांक 06.05.2022

जबलपुर संयंत्र से शहडोल मार्ग हेतु परिवहनकर्ता एवं स्थानीय शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर संयंत्र से शहडोल मार्ग हेतु जबलपुर से शहडोल तक साँची ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य एवं स्थानीय शहडोल शहर व शहडोल से अनूपपुर शहर मार्ग हेतु सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु इंस्युलेटेड वाहन द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट mptenders.gov.in से रू. 1000/- भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं जो दिनांक 09.05.2022 को दोपहर 1:00 बजे से दिनांक 23.05.2022 दोपहर 1:00 बजे तक ऑनलाईन भर सकते हैं। निविदा के लिये निर्धारित ई.एम.डी. राशि रू. 20000/- (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति मार्ग/शहर के मान से ऑनलाईन ही जमा करनी होगी।

निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन वेबसाईट www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाईट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

[redacted]

पत्रिका दिनांक 07/05/2022